सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary**
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आश्विन 25, गुरूवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 17, 2019 *Asvina 25, Thursday, Saka 1941–October 17, 2019*	

भाग-1(ख)

महत्त्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2019

संख्या प.1(1)न्याय/2016 पार्ट-II :-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से, कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीश के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेडता	अपर जिला न्यायाधीश, मकराना	मकराना
2.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा	अपर जिला न्यायाधीश, महवा	महवा

नोट:- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 10(3) एवं 7(2) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत्संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के तहत् अपर सेशन न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से ,
विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।